न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 69/2019

1. धुसकी देवी पत्नि श्री तेजाराम पुत्री स्वः श्री लालू उम्र लगभग 55 वर्ष जाति प्रजापत हाल निवासी ग्राम डूमाडा तहसील पीसांगन जिला अजमेर राजस्थान — प्रार्थीया

बनाम

1. भंवरलाल (मृतक जरिये विधिक वारिसान)
1/1 श्रीमती शान्ति देवी (पत्नि), निवासी ग्राम सांवतसर, मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान मृत नाम तर्क दिनांक 12.03.2025
1/2 नोरती देवी पत्नि स्व. श्री रामस्वरूप, (पुत्रवधू)
1/3 ज्योति पुत्री स्व. श्री रामस्वरूप (पौत्री)
वारिस संख्या 1/2 व 1/3 निवासीगण राठी हॉस्पिटल के पीछे, मदनगंज किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान
1/4 श्री रामसहाय (पुत्र)
1/5 श्रीमती सन्जू (पुत्री)
1/6 श्रीमती मन्जू (पुत्री)
1/7 श्री आशराम (पुत्र)
1/8 श्री रामाकिशन (पुत्र)
वारिस संख्या 1/4 लगायत 1/8 निवासीगण ग्राम सांवतसर, मदनगंज किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान
2. रामरतन उम्र 60 वर्ष
3. श्योजी उम्र 53 वर्ष

पुत्रगण स्वः श्री लालू प्रजापत जाति कुम्हार सर्वनिवासी महावीर कॉलोनी सांवतसर मदनगंज किशगनढ जिला अजमेर राजस्थान।

4. मैना पत्नि स्वः श्री रामनारायण पुत्री स्वः श्री लालू उम्र लगभग 52 वर्ष जाति प्रजापत हालनिवासी महावीर कॉलोनी सांवतसर मदनगंज किशगनढ जिला अजमेर राजस्थान
5. कन्हैया देवी पत्नि श्री रामपाल पुत्री स्वः श्री लालू उम्र लगभग 48 वर्ष जाति प्रजापत हालनिवासी कुम्हारों का मौहल्ला, ग्राम तेज्या का बास तहसील सांभर जिला जयपुर राजस्थान
6. श्रीमान तहसीलदार महोदय, किशनगढ़, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान
7. श्रीमान उप पंजीयक महोदय, किशनगढ़, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान

—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री भवानी सिंह
वकील अप्रार्थी श्री परमानन्द शर्मा

दिनांक 16/4/25

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भवानी सिंह ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. के तहत पेश कर निवदेन किया कि प्रार्थीया द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी पैतृक खातेदारी कृषि भूमि में अपने निहित हिस्से के घोषणात्मक अनुतोष चाहने बाबत् एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है। प्रार्थीया एवं मृतक अप्रार्थी संख्या 1 एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 आपस में सगे रक्त संबंधी भाई बहन है एवं पक्षकारान् के पूर्वज स्वः लालू पुत्र श्री श्योबक्श कुम्हार थे जिनकी दिनांक 11.11.1985 को निर्वसयती मृत्यु हो चुकी है एवं दौराने विचाराधीन वाद अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

संख्या 1 श्री भंवरलाल का भी दिनांक 12.09.2017 को देहावसान हो चुका है, स्वः लालू का पारिवारिक सजरा निम्नानुसार है कि लालू के वारिसान भंवरलाल, रामरतन, धूसकी, मैना, श्योजी, कन्हैया हैं जिसमें से भंवरलाल फौत हो चुकें है जिनके वारिसान शान्ति देवी, रामस्वरूप, रामसहाय, सन्जू, मन्जू, आशाराम, रामाकिशन जिनमें से रामस्वरूप फौत हो चुकें है जिनके वारिसान नोरती पत्नि व ज्योति पुत्री है। स्व. लालू की ग्राम सांवतसर स्थित भूमि खसरा संख्या 79, 436, 445, 446, 80 है। उपरोक्त खसरा में से खसरा संख्या 436 राज्य सरकार के आदेश कमांक प.6 (4) उद्योग/1/78 दिनांक 03.12.1982 के तहत रिको किशनगढ़ को आवंटित की जा चुकी है। इसलिये इस खसरे के संबंध में प्रार्थीया कोई अनुतोष नही चाहते है। स्वः लालूजी की शेष आराजी खसरा संख्या 79, 80, 445, 446 में प्रार्थीया का 1/6 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 1 के विधिक वारिसान अप्रार्थी संख्या 1/1 का 1/42 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1/2 एवं 1/3 का संयुक्त 1/42 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1/3 का 1/42 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1/4 का 1/42 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1/5 का 1/42 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1/6 का 1/42, अप्रार्थी संख्या 1/7 का 1/42 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1/8 का 1/42 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 4 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा, निहित है , प्रार्थीया के भाई अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा स्व. लालू जी की गलत विरासत का नामान्तरण खुलवाया गया है जिसमें प्रार्थीगण के हिस्से 1/6 के तथ्यों को छिपाकर उक्त गलत नामान्तकरण संख्या 1000 दिनांक 27.10.1998 एवं नामान्तरण संख्या 1012 दिनांक 30.06.1999 गलत तरीके से खुलवाया गया है। जो कि विधि विरूद्ध है और आपने राजस्व रिकॉर्ड मे भी विधि विरूद्ध तरिके से नामान्तरण दर्ज करवाया है जबकि उक्त अविभाजित हिस्से मे पक्षकार संख्या अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का 1/3 हिस्सा उतराधिकार अनुसार प्रारम्भ से ही शून्य था। उक्त फर्जी तरीके से कराये गये नामान्तरण के विरूद्ध प्रार्थीया के हकअधिकार के हिस्से की भूमि 1/6 हिस्से का राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदारी अधिकार की डिक्रि प्रार्थीया के पक्ष में किया जाना न्यायोचित है और उक्त खातेदार अधिकार एवं गलत, विधि विरूद्ध तरीके से स्व. लालू जी के विरासत का नामान्तरण संख्या 1000 एवं 1012 को भी निरस्त किये जाने के आदेश फरमाये जावें। अप्रार्थी संख्या 1 स्व. भंवरलाल की मृत्यु होने के उपरान्त स्व. भंवरलाल के वारिसान् अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/8 ने स्व. भंवरलाल का विरासती नामान्तरण संख्या 2250 दिनांक 22.01.2019 सम्पूर्ण भूमि में 1/3 हिस्से पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया है जो कि लम्बित वाद के सिद्धान्त एवं गलत भूमि का है। उपरोक्त अप्रार्थीगण 1/1 लगायत 1/8 द्वारा खसरा संख्या 436 जो कि रिको को आवंटित की गई थी पर भी अपना विरासती नामान्तरण दर्ज कर भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमदा है, इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादकारण स्वः लालू जी एवं स्व. भंवरलाल जी के विरासत का विधि विरूद्ध तरीके से खोले गये नामान्तरण के पश्चात उत्पन्न हुआ है जो राजस्व रिकार्ड में उक्त अंकन रहने से सतत् रूप से प्रारम्भ है। प्रार्थीया स्व. लालू जी की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान् होने से उनकी पैतृक सम्पति में हिस्सा निहित होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में है। अप्रार्थीगण अविधिक एवं गलत नामान्तरण के आधार पर वाद लम्बित रहने के दौरान भूमि को अन्तरण करने पर आमदा होने से प्रार्थीया को अपूर्तनीय क्षति हो रही है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण प्रश्नगत आराजियत को रहन, बेचान, बय, बख्शीश इत्यादि किसी भी प्रकार अन्तरण नहीं करें एवं मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र को दिनांक 19.03.2019 को दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 04.10.2019 को अप्रार्थी संख्या 1/2 व 1/3 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 के तथ्यों में वाद पेश करना स्वीकार है। शेष तथ्य गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 4 के तथ्यों के जवाब में निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित किसी भी भूमि में प्रार्थीया का किसी तरह का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है। प्रार्थीया के द्वारा गलत वाद व प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र के पेरा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

संख्या 5 के तथ्य गलत व निराधार होने से एवं उपरोक्तानुसार सही नहीं होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थीया का किसी तरह का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है ना ही प्रार्थीया का किसी तरह का कब्जा काश्त व खातेदारी है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में जवाबकर्ती का हक हिस्सा अधिकार है। प्रार्थीया के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 व 1/8 से मिलाभगति करके, षड़यंत्र रचकर जवाबकर्ती की भूमि को हड़पने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है अतः उक्त पेरा के तथ्य उपरोक्तानुसार अंकित है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 6 के कथन उपरोक्तानुसार सही नहीं होने एवं गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। नामान्तकरण संख्या 1000 दिनांक 27.10.1998 व नामान्तकरण संख्या 1012 दिनांक 30.6.1999 को विधिक प्रावधानों के तहत खोले गये है। उक्त नामान्तकरण विधिक प्रावधानों के तहत खोले जाने के कारण ही विहित अवधि में उक्त नामान्तकरण के विरूद्ध किसी तरह की कोई अपील, अपीलीय न्यायालय में नहीं की गई है उक्त नामान्तकरण अन्तिम हो चुके है ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तकरण शून्य होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। दिनांक 27.10.1998 व 30.6.1999 को खोले गये नामान्तकरण के आधार पर भँवरलाल, रामरतन, श्योजी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए थे जिसके सन्दर्भ में भँवरलाल, रामरतन व श्योजी के द्वारा अपने हिस्से अनुसार भूमि का बँटवारा कर लिया गया था। बँटवारा करने के पश्चात् अपने हिस्से में प्राप्त भूमि के सन्दर्भ में विक्रय करने का संव्यवहार कर भूमि को विक्रय की जा चुकी है। जवाबकर्ती की हिस्से की भूमि शेष रही थी। भँवरलाल, रामरतन व श्योजी के द्वारा किये गये विकय को प्रार्थीया के द्वारा स्वीकार किया जाता आ रहा था। प्रार्थीया द्वारा उक्त को कभी भी किसी तरह की चुनौती नहीं दी गई है। जवाबकर्ती संख्या 1/2 के ससुर, जवाबकर्ती संख्या 1/3 के दादा भँवरलाल के द्वारा अपने जीवनकाल में स्वयं के व रामसहाय, संजू, मंजू, आशाराम, रामाकिशन के हिस्से की भूमि को बैचान किया जा चुका है। जवाबकर्ती संख्या 1/2 व 1/3 के हिस्से की भूमि शेष रही थी। उक्त भूमि न्यायालय के निर्णय के अधीन शेष रही थी। जवाबकर्ती संख्या 1/2 के ससुर व जवाबकर्ती संख्या 1/3 के दादा श्री भंवरलाल की मृत्यु हो चुकी है। भँवरलाल की मृत्यु के बाद न्यायालय के निर्णय के अधीन शेष रही भूमि जवाबकर्तीगण को प्राप्त हुई है। प्रार्थीया को उक्त में किसी तरह का कोई हक अधिकार नहीं है। इस कारण ही प्रार्थीया के द्वारा तत्समय उक्त भूमि में हक, हिस्सा अधिकार प्राप्त करने के सन्दर्भ में किसी तरह की कार्यवाही नहीं की गई थी। जवाबकर्ती को न्यायालय के निर्णय के अधीन सम्पति प्राप्त हुई है। जवाबकर्ती को न्यायालय के निर्णय के अधीन प्राप्त सम्पति का जवाबकर्ती समुचित रूप से उपयोग उपभोग नहीं कर सके इस नियत से प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है अतः उक्त पेरा के तथ्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार है प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 10 के तथ्य उपरोक्तानुसार सही नहीं होने व गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थीया का किसी तरह का हक हिस्सा अधिकार नहीं है। जवाबकर्ती को न्यायालय के निर्णय के अधीन भूमि प्राप्त हुई है। जवाबकर्ती उक्त भूमि का समुचित रूप से उपयोग उपभोग नहीं कर सके, उपयोग उपभोग में बाधा कारित हो इस नियत से मिलाभगति करके प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है अतः उक्त पेरा के तथ्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 11 के तथ्य उपरोक्तानुसार सही नहीं होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर प्रार्थीया का कभी भी किसी का हक, हिस्सा अधिकार कब्जा नहीं रहा है। जवाबकर्ती को न्यायालय के निर्णय के अधीन उक्त भूमि प्राप्त हुई है जिस पर जवाबकर्ती का ही हक हिस्सा अधिकार, कब्जा, स्वामित्व है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अतः उक्त पेरा के तथ्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 12 के तथ्य सही नहीं होने से अस्वीकार है। जवाबकर्ती को न्यायालय के निर्णय के अधीन भूमि प्राप्त हुई है जिस पर जवाबकर्ती का ही हक हिस्सा अधिकार कब्जा नहीं है।

प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 9 के तथ्यों के जवाब में निवेदन है कि प्रार्थीया का उक्त भूमि में किसी तरह का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं था इस कारण ही प्रार्थीया के द्वारा तत्समय उक्त भूमि में हक, हिस्सा अधिकार प्राप्त करने के सन्दर्भ में किसी तरह की कार्यवाही नहीं की गई थी।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

जवाबकर्ती को न्यायालय के निर्णय के अधीन सम्पति प्राप्त हुई है। जवाबकर्ती को न्यायालय के निर्णय के अधीन प्राप्त सम्पति का जवाबकर्ती समुचित रूप से उपयोग उपभोग नहीं कर सके इस नियत से प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है अतः उक्त पेरा के तथ्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 10 के तथ्य उपरोक्तानुसार सही नहीं होने व गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थीया का किसी तरह का हक हिस्सा अधिकार नहीं है। जवाबकर्ती को न्यायालय के निर्णय के अधीन भूमि प्राप्त हुई है। जवाबकर्ती उक्त भूमि का समुचित रूप से उपयोग उपभोग नहीं कर सके, उपयोग उपभोग में बाधा कारित हो इस नियत से मिलाभगति करके प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है अतः उक्त पेरा के तथ्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार है।

प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 11 के तथ्य उपरोक्तानुसार सही नहीं होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर प्रार्थीया का कभी भी किसी का हक, हिस्सा अधिकार कब्जा नहीं रहा है। जवाबकर्ती को न्यायालय के निर्णय के अधीन उक्त भूमि प्राप्त हुई है जिस पर जवाबकर्ती का ही हक हिस्सा अधिकार, कब्जा, स्वामित्व है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अतः उक्त पेरा के तथ्य उपरोक्तानुसार अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 12 के तथ्य सही नहीं होने से अस्वीकार है। जवाबकर्ती को न्यायालय के निर्णय के अधीन भूमि प्राप्त हुई है जिस पर जवाबकर्ती का ही हक हिस्सा अधिकार कब्जा हिस्से की भूमि को भंवरलाल के द्वारा रोक कर कब्जा कर रखे होने के कारण जवाबकर्ती संख्या 1/2 व 1/3 के द्वारा अपने ससुर/दादा भँवरलाल के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् पारिवारिक न्यायालय, अजमेर के यहाँ वाद पेश किया गया था जिसका उनवान नौरती देवी वगैरह बनाम भँवरलाल था जिसके नम्बर 93/02 है जिसका निर्णय दिनांक 15.02.2008 को किया गया था। न्यायालय के द्वारा उक्त में आदेश पारित किया गया था कि श्री भंवरलाल जवाबकर्ती को 1000/– रूपये प्रतिमाह अदा करेगा परन्तु यदि भँवरलाल एक माह के भीतर जवाबकर्ती को उसके हिस्से की सहदायिकी कृषि भूमि को जवाबकर्ती के नाम करते हुए कब्जा सौप देता है तो उसे किसी प्रकार का भरण पोषण नहीं देना होगा। श्री भंवरलाल के द्वारा अपने जीवनकाल में जवाबकर्ती के हिस्से की सहदायिकी भूमि को जवाबकर्ती के नाम नहीं करवाया इस कारण श्री भंवरलाल के द्वारा न्यायालय के निर्णय के अधीन भरण पोषण राशि अदा की गई थी। श्री भँवरलाल की मृत्यु होने के बाद जवाबकर्ती के हिस्से की भँवरलाल के द्वारा रोक रखी भूमि का जवाबकर्ती को कब्जा प्राप्त हो गया एवं उक्त भूमि पर जवाबकर्ती को स्वामित्व प्राप्त हो गया है। इस प्रकार जवाबकर्ती को न्यायालय के निर्णय के अधीन उक्त भूमि पर कब्जा स्वामित्व प्राप्त हुआ है। जवाबकर्ती के अलावा उक्त भूमि पर किसी भी अन्य व्यक्ति का किसी तरह का कब्जा स्वामित्व नहीं है। श्री भवरलाल के द्वारा अपने पुत्र रामसहाय, आशाराम, रामाकिशन से मिलकर अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की व उक्त को सहदायिकी में प्राप्त हिस्से की भूमि को बैचान कर राशि प्राप्त कर राशि को आपस में बांट लिया गया था। जवाबकर्ती को किसी तरह की कोई राशि व भूमि नहीं दी गई थी। श्री भंवरलाल के द्वारा जवाबकर्ती के हिस्से की भूमि को रोक रखी थी तथा उक्त पर कब्जा कर रखा था। श्री भंवरलाल की मृत्यु के बाद श्री भँवरलाल के द्वारा जवाबकर्ती के हिस्से की रोक रखी भूमि, कब्जा कर रखी भूमि जवाबकर्ती को प्राप्त हुई है। इस प्रकार भँवरलाल की मृत्यु के बाद शेष रही भूमि पर जवाबकर्ती का ही हक हिस्सा अधिकार है जवाबकर्ती के अलावा अन्य किसी का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है। प्रार्थीया के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 व 1/8 से मिलाभगति करके, षड्यंत्र रचकर प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीया का उक्त भूमि में किसी तरह का हक हिस्सा अधिकार नहीं है। प्रार्थीया के द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में नामान्तकरण को निरस्त घोषित किये जाने का कथित अनुतोष चाहा गया है। प्रश्नगत नामान्तकरण विधिक प्रावधानों के तहत खोले गये थे। उक्त नामान्तकरण को विधिक प्रावधानों के तहत अपील पेश करने की विहित अवधि काफी वर्षों पूर्व ही खत्म हो चुकी है। प्रश्नगत प्रार्थना पत्र व वाद के माध्यम से उक्त नामान्तकरण को निरस्त घोषित किये जाने का किसी तरह का कोई विधिक प्रावधान नहीं है। इस कारण प्रार्थीया की ओर से पेश

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

र्थना पत्र व वाद खारिज होने योग्य है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीया की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाये जाने की कृपा करावे।

दिनांक 07.04.2025 तक भी जवाब पेश नहीं करने के कारण दिनांक 07.04.2025 को अप्रार्थी संख्या 1/4, 1/5 व 1/6 व 3 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 07.04.2025 को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया गया।

हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया के इस कथन को अस्वीकार नहीं किया गया है कि वादअधीन भूमि पैतृक भूमि है। वादअधीन भूमि पैतृक भूमि होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधि. के तहत प्रार्थीया का उक्त भूमि में हिस्सा निहित है।

प्रथम दृष्टया प्रकरणः— वादअधीन भूमि पैतृक भूमि है जिसमे हिन्दु उत्तराधिकार अधि. की धारा 08 के तहत प्रार्थीया का हक हिस्सा निहित है अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है।

सुविधा का संतुलनः— वादअधीन भूमि पर प्रार्थीया का पैतृकता के आधार हिस्सा, पैतृक हिस्से में यदि कोई अन्तरण होता है तो वह अप्रार्थी द्वारा संदाय नहीं की जा सकती है अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है।

अपूरणीय क्षतिः— यदि अप्रार्थीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया और अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड व मौके में परिवर्तन कर दिया गया तो अपूरणिय क्षति प्रार्थीया को कारित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1/2 लगायत 05 को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम सांवतसर स्थित वादअधीन भूमि खसरा संख्या 79, 445, 446, 80 में प्रार्थीया के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे, प्रार्थी को उसके हिस्से से बेदखल नहीं करें तथा वादअधीन भूमि में मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 16/4/25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

निशा सहारण (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)